जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 20.04.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व धमकी देने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री शशि शेखर सिंह* के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0 325/2024 धारा 363, 366, 506 भादवि के मामले मे वांछित अभियुक्त असलम पुत्र गुलाम हुसैन निवासी लंगड़ी कुर्थिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को डड़वा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त, वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था तथा वादी को धमकियां दी थी, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 20.04.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 दीनानाथ राजभर।

जनपद – संतकबीरनगर*　　　　*प्रेस विज्ञप्ति*　　　　*दिनाँक 20.04.2024

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना धनघटा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. स्वामीनाथ पुत्र झिन्नान 2. भवनाथ पुत्र झिन्नान निवासीगण खेवतिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रजनीश राय, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3301 द्वारा मीरपीट/विवाद में घायल 05 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3301 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मोहम्मदपुर कठार से इवेन्ट संख्या 32601 से कालर द्वारा बारात में किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के कारण 05 व्यक्तियों (1-अमरजीत पाल पुत्र छविलाल पाल, 2- अमित पाल पुत्र छविलाल पाल, 3- जीवलाल पुत्र बनारसी पाल, 4- कोमल पाल पुत्र रामप्यारे पाल, 5- अमरजीत पाल पुत्र कोमलपाल, आर/ओ मोहम्मदपुर, थाना को0 खलीलाबाद, संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियो को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 रामदुलारे यादव, हो0चा0 गौरीश पाण्डेय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 76 वाहनों से 84,500 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 76 वाहनों से 84,500 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर　　　***प्रेस विज्ञप्ति***　　　***दिनाँक 20.04.2024***

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 168/2024 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अब्दुल मुनाफ उर्फ अब्दुल्लाह पुत्र मो0 असलम निवासी गजौली शेख थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को विधिक नियमों का पालन करते हुये डीघा बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अब्दुल मुनाफ उर्फ अब्दुल्लाह पुत्र मो0 असलम निवासी गजौली शेख थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

संक्षिप्त विवरणः-

विदित हो कि उक्त अभियुक्त का एक सुसंगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु गैंग बनाकर चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। चोरी के अभियोग दर्ज होने व समाज में काफी भय, आतंक व साम्प्रदायिक साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होने के खतरे तथा उक्त अभियुक्त के भय व आतंक से किसी व्यक्ति द्वारा इनके विरुद्ध इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सूचना व गवाही देने से डरने के दृष्टिगत गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किए जाने के उपरान्त कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त गैंगेस्टर को आज दिनांक 20.04.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 123/2022 धारा 411, 413, 414 भादवि थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 122/2022 धारा 379, 411, 413, 414 भादवि थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक श्री रामकृपाल सिंह, हे0का0 राकेश गौंड, का0 कृष्णानन्द शाह।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 20.04.2024

कूटरचित व गलत तथ्य प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा करने के मामले में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद संतकबीर नगर के ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2023 धारा 419/420/120बी/467/468/471 भादवि व 66/66C आईटी एक्ट व 29 पुलिस अधिनियग 1861 व 7/8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 12 पासपोर्ट अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त रामकिशुन पुत्र रघुनन्दन निवासी ग्राम भिटनी दुधारी थाना महुली जनपद संत कबीर नगर के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था । उक्त अभियुक्त रामकिशुन उपरोक्त दिनांक 16.04.2024 को केन्या से फ्लाइट के द्वारा मुम्बई एयरपोर्ट पर उतरा था। उसी दौरान मुम्बई एयरपोर्ट के अधिकारियों द्वारा अभियुक्त रामकिशुन उपरोक्त को अभिरक्षा में लेकर उसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक संतकबीर नगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** को सूचना प्रेषित की गयी थी। इस सूचना से अवगत होने के पश्चात थाना कोतवाली खलीलाबाद पर नियुक्त उ0नि0 श्री पवन कुमार, आरक्षी घनश्याम त्रिपाठी व आरक्षी अतीश यादव दिनांक 15/04/2024 को अभियुक्त उपरोक्त की न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु मुम्बई के लिए रवाना हुये थे। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय मुम्बई से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर, उक्त पुलिस बल आज दिनांक 20.04.2024 को अभियुक्त रामकिशुन उपरोक्त को साथ लेकर मुम्बई से खलीलाबाद, संत कबीर नगर उपस्थित आये। अभियुक्त रामकिशुन उपरोक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी- एक अदद पासपोर्ट, दो अदद बोर्डिंग पास मूल रूप KENYA AIRWAYS, एक अदद मोबाईल फोन ।

जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 20.04.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे 03 अभियुक्तों को 01 वर्ष की परिवीक्षा पर छोड़ा गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनांक 20.04.2024 को *मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतकबीरनगर* द्वारा द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1497/2009 धारा 307/34, 323/34, 504, 506 भादवि के मामलें में अभियुक्तगण 1. रामचन्दर पुत्र स्व0 मुन्नर 2. श्रीमती गुलमती देवी पति रामचन्दर 3. इन्द्रावती देवी उर्फ सुमन पति रामवृक्ष निवासीगण अब्बास गंज थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 307/34 भादवि में दोषमुक्त किया गया तथा धारा 323/34, 504, 506 भादवि से दोषसिद्ध किया गया। परिवीक्षा अधि0 धारा 3/4 का लाभ देते हुए तत्काल दण्ड से दण्डित न करते हुए एक-एक वर्ष के सदाचरण एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु नियमानुसार अवमुक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।